न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28/2022 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भागचन्द अग्रवाल
एफबीओ मैसर्सः— विनोद जनरल स्टोर, मैन मार्केट, मण्डावर जिला दौसा।
— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री राकेश जैमन अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 28.06.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया था।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.02.2022 को दोपहर 03:30 बजे मैसर्सः— विनोद जनरल स्टोर, मेन मार्केट, मण्डावर जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भागचन्द अग्रवाल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक प्लास्टिक के लूज कट्टे में करीबन 15 किग्रा मिर्च पाउडर(लूज) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जॉच हेतु 2 किग्रा मिर्च पाउडर(लूज) खरीदी। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 480 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा मिर्च पाउडर(लूज) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर—बराबर डालकर डिब्बो को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—2875 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ(विक्रेता) गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 2.3.2022 को खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 2.3.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 2.3.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का नमूना खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./271/एक्ट/2022/271 दिनांक 10.03.2022 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड व नियम 2.3.14(15) एफएसएस (**Prohibitions and Restrictions on sale**) नियम 2011 का उल्लंघन(खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./271/एक्ट/2022/271 दिनांक 10.03.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का नमूना सबस्टैण्डड व नियम 2.3.14(15) एफएसएस (**Prohibitions and Restrictions on sale**) नियम 2011 का उल्लंघन(खुले मसाले बेचना) पाया गया है। मिर्च पाउडर(लूज) के नमूने में **Total Ash (By Weight on dry basis)** 8.89 प्रतिशत पाई गई है, जो कि नियमानुसार 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। अप्रार्थी अभियुक्त ने उक्त सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) व (**V**) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 व 58 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। अप्रार्थी ने जानकारी के अभाव में उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का विक्रय किया है। प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है। जो कि अपनी आजीविका चलाने के लिये छोटा सी दुकान करता है। भविष्य में हमारे द्वारा कभी भी लूज मिर्च पाउडर का विक्रय नहीं किया जायेगा। प्रथम बार हुई गलती के लिये प्रार्थी को माफ किया जाकर कम से कम जुर्माना लगाये जाने का निवेदन किया गया।

Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 28 / 2022 FSSA

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 271 / एक्ट / 2022 / 271 दिनांक 10.03.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का नमूना सबस्टैण्डर्ड एवं नियम 2.3.14(15) एफएसएस (**Prohibitions and Restrictions on sale**) नियम 2011 का उल्लंघन(खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 व 58 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भागचन्द अग्रवाल एफबीओ मैसर्सः—विनोद जनरल स्टोर, मैन मार्केट, मण्डावर जिला दौसा पर 7000 / —(अक्षरे सात हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 28.06.2023 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / FSSA/ दिनांकः— .06.2023

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भागचन्द अग्रवाल
   एफबीओ मैसर्सः—विनोद जनरल स्टोर, मैन मार्केट, मण्डावर जिला दौसा

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा